

प्रेषक,

खण्ड शिक्षा अधिकारी
अम्बियापुर, बदायूँ।

सेवा में,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
बदायूँ।

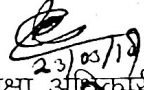
पत्रांक : ५०६०/१४१/२०१७-१८

दिनांक : २६-३-२०१८

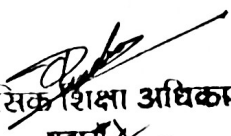
विषय : बाबा इन्टरनेशनल स्कूल, बिल्सी को आर०टी०ई० अधिनियम, २००९ की धारा १८ के अन्तर्गत अनापत्ति के सम्बन्ध में।

महोदय,

प्रमाणित किया जाता है कि बाबा इन्टरनेशनल स्कूल आर०टी०ई० अधिनियम, २००९ की धारा १८ के अनुसार राज्य शिक्षा विभाग के अन्तर्गत कार्य कर रहा है। हमारे विभाग को इस बात पर कोई आपत्ति नहीं है। स्कूल सभी मानदंडों का पालन कर रहा है और राज्य सरकार द्वारा दी गई एन०ओ०सी० के अनुसार सभी रिकॉर्ड रख रहा है।


२३/०३/१८
खण्ड शिक्षा अधिकारी
अम्बियापुर, बदायूँ।
विकास क्षेत्र अम्बियापुर (बदायूँ)

खण्ड शिक्षा अधिकारी की उक्त आज्ञा के आधार पर
प्रति हस्ताक्षरित


जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
बदायूँ